

1456
12/6/12

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

COF/CE/DRH


DRH
500 me neren
& 7040

क्रमांक प. 6 (5) शिक्षा-4/2009

जयपुर, दिनांक: 5.06.2012

12/6/12

1. कुल सचिव, जय. नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. कुल सचिव, महर्षि हर्यानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।



विषय:- जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, पाली एवं जोधपुर जिले के (जोधपुर शहर के अतिरिक्त) संगी महाविद्यालय सम्बद्ध करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के संबंध में राज्य-पत्र विशेषांक, दिनांक 10.04.2012 भाग 4 (ग), उप खण्ड (11) के पृष्ठ संख्या 11-12 पर प्रकाशित कर दिया गया है। राज-पत्र का संबंधित भाग इसके साथ संलग्न है। कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें। संलग्न: उपरोक्तानुसार।



भवदीय,

05/6/12

(डा. वेंकट रमणी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
4. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. निदेशक, कालेज शिक्षा।
6. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा।

05/6/12

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांक एफ4(402)आयो/निकाशि/2012/623-27


दिनांक : 23-7-2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा, राज. जयपुर।
2. बाडमेर/जैसलमेर/जालौर/पाली एवं जोधपुर के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।
3. कुल सचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. कुल सचिव, एम0डी0एस0 विश्वविद्यालय, अजमेर।
4. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी वेबसाइट।

संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा
राजस्थान जयपुर

29/04/12

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
|  सत्यमेव जयते | राजस्थान राज-पत्र | RAJASTHAN GAZETTE |
| | विशेषांक | Extraordinary |
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| चैत्र 21, मंगलवार, शाके 1934-अप्रैल 10, 2012 Chaitra 21, Tuesday, Saka 1934-April 10, 2012. | | |

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

अधिसूचना

जयपुर अप्रैल 3, 2012

एस.ओ. 13:- जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 17) की धारा 5 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार विश्वविद्यालय से परामर्श करके, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर और पाली जिलों में स्थित समस्त महाविद्यालय स्नातक/स्नातकोत्तर और अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष से प्रारम्भ हो रही कक्षाओं के लिए, 1 जुलाई, 2012 से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से सम्बद्ध होंगे।

[संख्या एफ. 6(5) ऐजु-4/2009]

राज्यपाल के आदेश से,

राजीव स्वरूप,

प्रमुख शासन सचिव,

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान,

जयपुर।

EDUCATION (GROUP-4) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Jaipur, April 3, 2012

S.O. 13 :- In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 5 of the Jai Narain Vyas University, Jodhpur Act, 1962 (Act No. 17 of 1962), the State Government in consultation with the university, hereby notifies that all colleges situated in the Barmer, Jaisalmer, Jalore, Jodhpur